न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 98/2016

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. सुरेश पुत्र चम्पालाल		1. शांतिदेवी पुत्री प्रभूराम
2. दिनेश पुत्र चम्पालाल		2. सुन्दरदेवी पुत्री प्रभूराम
3. कलावती पुत्री चम्पालाल		3. पतासी पुत्री प्रभूराम (मृतक) (Symbolic Party)
4. उषादेवी पुत्री चम्पालाल		4. लक्ष्मण गोद पुत्र अखराज उर्फ अमबालाल जातिगण अकवास गुरू निवासीगण सेवरिया तहसील जैतारण
5. रतनी पत्नी चम्पालाल जातिगण अकवास गुरू (गरूड़ा) निवासगण सेवरिया तहसील जैतारण		5. तहसीलदार जैतारण एवं उप पंजीयन अधिकारी जैतारण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :
श्री मोहम्मद शरीफ काज़ी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री श्यामसिंह सोलंकी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 29.11.18

———0———

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 291/2012 शांतिदेवी वगैरा बनाम सुरेश कुमार वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.05.2016 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडैन्ट संख्या 1 से 3 ने अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 के विरूद्ध वाद प्रस्तुत कर जैर अपील विवादित आराजी अपनी पुश्तैनी होना बताते हुए उक्त भूमि में अपने हिस्से की खातेदारी घोषणा एवं विभाजन का अनुतोष चाहा। इस भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में उसी न्यायालय के समक्ष वाद विचाराधीन होकर निर्णीत हुआ था तथा उक्त निर्णय की पालना में अपीलाण्ट को जैर अपील विवादित आराजी के खातेदार घोषित किया गया था। इस कारण जैर अपील निर्णय के जरिये अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व में स्वयं द्वारा पारित निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

एवं डिक्री को अप्रत्यक्ष रूप से अपास्त करते हुए जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जो विधि विरूद्ध है। चूंकि वाद संख्या 50/2006 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.09.2011 की किसी भी सक्षम न्यायालय के समक्ष अपील आदि नहीं हुई थी, इस कारण उक्त निर्णय एवं डिक्री अन्तिम हो चुके थे। इसके अतिरिक्त जिस नामान्तरकरण के जरिये चम्पालाल का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया, उसकी भी किसी भी अपीलीय न्यायालय में अपील नहीं हुई थी, इस कारण वह नामान्तरकरण भी अन्तिम हो चुका था। इसके अतिरिक्त राजस्व वाद संख्या 50/2006 में पारित निर्णय दिनांक 17.09.2011 की पालना नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण संख्या 216/2014 दर्ज करवाया गया, जो लक्ष्मण बनाम तहसीलदार के नाम से दायर हुआ। उक्त प्रकरण में दिनांक 26.05.2016 को निर्णय पारित किया गया, जिसकी भी कहीं अपील नहीं हुई, इस कारण वह निर्णय भी अन्तिम हो चुका है। रेस्पोडेन्ट द्वारा इन समस्त निर्णयों की किसी भी सक्षम न्यायालय के समक्ष अपील की कार्यवाही नहीं की तथा नया वाद प्रस्तुत कर दिया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय के जरिये स्वीकार कर डिक्री किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। रेस्पोडेन्ट्स का जैर अपील विवादित आराजी पर किसी भी रूप में कब्जा काश्त नहीं है। उक्त भूमि पूर्व में बालूराम की खातेदारी भूमि थी तथा बालूराम फोत होने पर उसके पुत्र प्रभूराम व राजूराम के नाम दर्ज हुई। रेस्पोडेन्ट ने स्वयं को प्रभूराम की पुत्रियां होना बताते हुए जैर अपील विवादित आराजी में स्वयं के खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा है। मारवाडी परम्परा के अनुसार पुत्रियों का हिस्सा नहीं रहता है। इसलिए बालूराम की मृत्यु होने पर उसके पुत्रों का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं किया गया। यदि रेस्पोडेन्ट का हिस्सा निर्धारित होता है, तो बालूराम की पुत्रियों का भी हिस्सा निर्धारित होना चाहिए, जो नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक अन्य वाद कैलाशी बनाम चम्पालाल विचाराधीन है, जिसे समेकित करते हुए ही निर्णय पारित किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। इन समस्त कारणों से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय एवं डिक्री अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि पूर्व में बालूराम की खातेदारी भूमि थी। बालूराम के दो पुत्र प्रभूराम व राजूराम थे। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 एवं अपीलाण्ट के पिता/पति चम्पालाल बालूराम की जायन्दा सन्तान थे। बालूराम फौत होने पर जैर अपील विवादित आराजी का प्रभूराम व राजूराम के नाम नामान्तरकरण दायर किया गया। प्रभूराम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजस्व वाद बाबत विभाजन हेतु प्रस्तुत किया, जिसमें प्रभूराम फौत होने पर उसके का0मु0 के तौर पर मात्र चम्पालाल को ही पक्षकार बनाया गया एवं चम्पालाल फौत होने पर अपीलाण्ट को पक्षकार संयोजित करते हुए वाद संख्या 50/2006 में दिनांक 17.09.2011 को निर्णय एवं डिक्री पारित की गई। जिसके जरिये जैर अपील विवादित आराजी अपीलाण्ट के नाम दायर की गई। चूंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 प्रभूराम की जायन्दा सन्तान थी, जिनका प्रभूराम के हिस्से की भूमि में हक निहित था। इस कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया, जिसमें अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

न्यायालय द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 द्वारा स्वयं को प्रभूराम की पुत्रियां होना बताते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खातेदारी घोषणा एवं विभाजन का वाद प्रस्तुत किया, जिसमें अपीलाण्ट द्वारा कोई प्रतिकार नहीं किया गया है। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय एवं डिक्री के जरिये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए है तथा भूमि के बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन करने के आदेश तहसीलदार जैतारण को प्रदान किए गए। अपीलाण्ट द्वारा किसी भी रूप में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 को प्रभूराम की पुत्रियां होने से नकारा नहीं है। इस कारण यह स्वीकृत तथ्य है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 प्रभूराम की पुत्रियां थी, जिनका प्रभूराम की खातेदारी भूमि में हक हिस्सा निहित था। जहां तक विधिक प्रावधान का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में पुत्रियों के हिस्से की जिस प्रकार से व्याख्या की है, वह इस प्रकार है "The Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 stipulates that from commencement of the amended Act of 2005 the daughter of a coparcener shall by birth become a coparcener in her own right in the same manner as the son. It is apparent that if sons under the old sections of Hindu Law were treated as coparceners since birth the amended section recognizes the rights of daughter, similarly. The amendment in the Hindu Succession Act comes into effect on and from 9th September, 2005 and the section cannot be applied retrospectively prior to the amendment when the legislature itself has specified the postenor date from which the Act comes into force. This is the judgment of the Hon'ble Supreme Court of India." इस विधिक दृष्टिकोण को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ की जाती है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 291/2012 शांतिदेवी वगैरा बनाम सुरेश कुमार वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.05.2016 की पुस्टि की जाती है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली